ORDER-SHEET

The Electricity Ombudsman, MPERC, 5th Floor, Metro Plaza, Bhopal

Case No.L00-21/2015

Date of order of proceeding	*Order of proceeding with Signature of presiding officer* **श्री मुन्नालाल जैन, शहपुरा, जबलपुर**	*Signature of parties or pleaders where necessary*
05-07-2017	उक्त प्रकरण में आवेदक द्वारा याचिका क्रमांक 16789/2015 माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रस्तुत की गई थी जिसके चलते इस कार्यालय के प्रकरण को माननीय न्यायालय के निर्णय होने तक लंबित रखा गया था। 2 आवेदक द्वारा प्रस्तुत उक्त याचिका में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 127 के अंतर्गत गठित कमेटी द्वारा उनके आवेदन को समय–सीमा में नहीं होना दर्शाते हुए खारिज करने के आदेश को चुनौती दी थी। 3 माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 9.3.2016 से उक्त याचिका को स्वीकार करते हुए पुनः अधिनियम की धारा 127 के अंतर्गत गठित अपीलीय प्राधिकरण जबलपुर के आदेश को खारिज कर उन्हें प्रकरण में सुनवाई करने हेतु निर्देशित किया। 4 आवेदक द्वारा अपीलीय प्राधिकरण जबलपुर के निर्णय दिनांक 6.6.2017 की प्रति इस कार्यललय को प्रेषित की है जिसमें कि समिति द्वारा आवेदक के विरूद्ध विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के अंतर्गत निकाली गई रिकवरी रू. 1,80,675/– निरस्त कर दी है। अतः प्रकरण इस कार्यालय में जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाए। **विद्युत लोकपाल**	